न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रजनी मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	GCMS NO.	निर्णय दिनांक
2025/1079	प्रा0पत्र–136	17.10.2025	2025/1079	21.01.2026

–:: अनवान ::–

1. शंभुलाल पिता मोहनलाल जी जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. मिठ्ठूलाल पिता केसरीमल जी जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सम्पतलाल पिता झमकलाल जी जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....प्रार्थीगण

।।बनाम।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : – श्री जहिदरजा प्रार्थी अधिवक्ता

विपक्षी की ओर से :– पैरोकार सरकार उपस्थित

1. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तत्य इस प्रकार है कि प्राथी संख्या 2 एवं 3 के खादेदारी, कब्जे करश्त, स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर की खाता संख्या 43 पर दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 0.42 हैक्टयर, एवं खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 38 रकबा 0.42 हैक्टयर भूमि भू प्रबंध से पूर्व आराजी नम्बर 37 के साबिक आराजी नम्बर 25/2 रकबा 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 38 के साबिक आराजी नम्बर 25/1 रकबा 2 बीघा थे एवं आराजी नम्बर 126/39 बिलानाम सरकार के साबिक आराजी नम्बर 25 थे। साक्ष्य में नवीन एवं साबिक जमाबंदी, नक्शा नया एवं पुराना, मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के प्रार्थी संख्या 2 एवं 3 साबिक रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे किन्तु बाद में प्रार्थी संख्या 2 एवं 3 ने उक्त आराजीयात प्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 20.08.2025 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर दी जिस पर प्रार्थी वर्तमान में काबिज हो बहैसियत खातेदार काश्त कर रहा है।
3. यह कि भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा हम प्रार्थीगण की आराजीयात के पुराने नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे में परिवर्तन कर राजस्व रेकार्ड में गलत तरिके से अंकित कर दिया। जबकि मौके पर प्रार्थीगण साबिक नक्शे अनुसार आज भी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। पुराने नक्शे एवं नवीन नक्शे का मिलान करने से ही स्पष्ट है कि भू प्रबंध कर्मचारीयों द्वारा नक्शे में की गई त्रुटि स्पष्ट दिखाई दे रही है। एवं आराजी नम्बर 39 में से शमशान भूमि आवंटित की गई जिसके नवीन आराजी नम्बर 126/39 रकबा 0.20 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज किये जो राजस्व रेकार्ड के नक्शे में मौके अनुसार भी गलत तरमीम किये है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों को पुराने नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम करना था किन्तु उन्होने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थीगण की आराजीयात के नक्शे में त्रुटि कारित कर दी जिससे प्रार्थीगण को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिससे यह प्रार्थना पत्र नक्शा दुरुस्ती हेतु श्रीमान के समक्ष पेश किया जाना है।

4. यह कि भूप्रबंध अधिकारीयों ने साबिक से नवीन नक्शा बनाया है वह मौके की भौतिक स्थिति के विपरित है। प्रार्थीगण आज भी साबिक नक्शे अनुसार ही काबिज हो अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे है। नवीन नक्शे में प्रार्थीगण की आराजीयात को गलत दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थीगण नवीन नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार दुरुस्त कराने के अधिकारी होनेसे यह प्रार्थना पत्र नक्शा दुरुस्ती हेतु पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। पेशकार सरकार उपस्थित। पेराकार विपक्षी द्वारा जवाब विधिवत् जवाब पेश किया गया। पेराकार सरकार का जवाब निम्नानुसार है :– ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बानसेन की आराजी नम्बर 37, 38 रकबा 0.84 हैक्टयर, का गत व मौके पर मिलान रेकार्ड व नक्शे से किया गया, प्रश्नगत आराजी साबिक नम्बर 25/1, 25/2 रकबा 4 बीघा से कायम होकर गत मुकाबले रकबे में कोई कमी पेशी नहीं हुई। किन्तु नक्शे की आकृति का मिलान मौके व नक्शे से नहीं होता है। मौके की स्थिति संलग्न तरमीम अनुसार है जो शुद्धी हेतु प्रस्तावित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया है। वकिल प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिशनरी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में नवीन नक्शे में हुई त्रुटि को साबिक नक्शे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार दुरुस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बानसेन तहसील भदेसर के नवीन आराजी नम्बर 37 रकबा 0.42 हैक्टयर, आराजी नम्बर 38 रकबा 0.42 हैक्टयर आराजी नम्बर 39 रकबा 0.82 हैक्टयर, एवं आराजी नम्बर 126/39 रकबा 0.20 हैक्टयर के **नवीन नक्शे में हुई त्रुटि को साबिक नक्शे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम की जाए एवं साबिक नक्शे अनुसार बिलानाम आराजी** के **रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाए व इससे किसी भी प्रकार से राजकीय हित प्रभावित न हों। साबिक नक्शा एवं प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।** उपरोक्तानुसार नवीन नक्शे में हुई त्रुटि को साबिक नक्शे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जावें। निर्णय कि प्रति तहसीलदार भदेसर को भिजवाई जावें। दिनांक 2[illegible].01.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)